30/06/2021 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि मूल वाद में उभय पक्ष में राजीनामा हो चुका है। राजीनामे के तहत मूल वाद निस्तारित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है, जिससे प्रार्थना पत्र विड्रोवल से निरस्त किया जाना न्यायोचित है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र विड्रोवल से निरस्त फरमाया जावे प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया जावे।

2019/00094 इसके अधिवक्ता उभय पक्ष पर बहस किया(?) चूंकि मूल वाद में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो चुका है, अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार [किया जाकर] प्रार्थना पत्र विड्रो से खारीज [किया जाता है] पत्रावली फैसल शुमार हो कर [दाखिल दफ्तर] हो एवं मूल वाद पत्रावली 71/2018 के शामिल की जावे।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.07.06 16:13:00 IST
Reason: SelfAttested